ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026

कचरे से संसाधनों के पुनः उपयोग की ओर

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का दृष्टिकोण अब केवल कचरा एकत्र करने और उसका निपटान करने तक सीमित नहीं है। यह स्रोत पर पृथक्करण, संसाधनों के पुनः उपयोग, जवाबदेही और संसाधन कुशलता की ओर बढ़ रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 ने 2016 के नियमों का स्थान लिया है और कचरे की पूरी शृंखला को इनके दायरे में लाया गया है। चार-धारा स्रोत पृथक्करण, थोक अपशिष्ट उत्पादकों की स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ, डिजिटल निगरानी, लैंडफिलिंग पर नियंत्रण और पुराने कचरा स्थलों के समयबद्ध उपचार पर ज़ोर इस व्यवस्था को रोकथाम, पुनः उपयोग और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान की ओर ले जाता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 27 जनवरी, 2026 को अधिसूचित किया गया और ये 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हुए। नए नियमों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लिया है। नए नियमों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को स्रोत पर पृथक्करण, प्रसंस्करण, निगरानी और जवाबदेही के मज़बूत प्रावधानों के साथ जोड़ा गया है।

आज चुनौती केवल कचरा एकत्र कर उसे निपटान स्थल तक पहुँचाने की नहीं है। बड़ी आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि कचरे की विभिन्न श्रेणियों की पहचान स्रोत पर ही हो, उन्हें अलग-अलग एकत्र किया जाए, उनका पुनः उपयोग या उचित प्रसंस्करण किया जाए और केवल अवशिष्ट कचरा ही वैज्ञानिक रूप से विकसित लैंडफिल तक पहुँचे।

वर्ष 2026 के नियम कचरा उत्पन्न होने के स्थान से लेकर उसके अंतिम उपचार या निपटान तक ज़िम्मेदारियों की एक पूरी शृंखला स्थापित करते हैं। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें कचरे को केवल समस्या न मानकर उसमें मौजूद उपयोगी संसाधनों की भी पहचान की जाए और उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके।

पृथक्करण : व्यवस्था की पहली कड़ी

नियमों की एक प्रमुख व्यवस्था स्रोत पर चार श्रेणियों में कचरे का पृथक्करण है। इसके तहत कचरे को गीले कचरे, सूखे

कुरुक्षेत्र सम्पादकीय डेस्क

कचरे, सैनिटरी कचरे और विशेष देखभाल वाले कचरे में अलग करना अनिवार्य है।

गीले कचरे में रसोई का कचरा, सब्जियों और फलों के छिलके, माँस तथा फूल आदि शामिल हैं। इसका उपयोग कम्पोस्टिंग या बायो-मीथेनेशन के लिए किया जाना है। प्लास्टिक, कागज़, धातु, काँच, लकड़ी और रबर जैसे सूखे कचरे को छंटाई और पुनर्चक्रण के लिए मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRFs) तक पहुँचाया जाना है। इस्तेमाल किए गए डायपर और सैनिटरी उत्पादों सहित सैनिटरी कचरे के लिए अलग व्यवस्था आवश्यक है। वहीं दवाइयाँ, पेंट के डिब्बे, बल्ब और पारा थर्मामीटर जैसे विशेष देखभाल वाले कचरे को अधिकृत एजेंसियों द्वारा एकत्र किया जाना है या निर्धारित संग्रह केंद्रों पर जमा करना होगा।

स्रोत पर पृथक्करण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग-अलग कचरे को मिलाने से उनके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की संभावना घटती है तथा बाद की छंटाई कठिन और महंगी हो जाती है। स्थानीय निकायों को झुग्गी बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों सहित घरों तथा वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य परिसरों से अलग किए गए कचरे के घर-घर संग्रह की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार स्रोत पर पृथक्करण और अलग-अलग संग्रह संसाधनों के पुनः उपयोग की पूरी व्यवस्था की आधारशिला बनते हैं।

थोक अपशिष्ट उत्पादक

नियमों में अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों (BWGs) को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाला परिसर, प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत करने वाला प्रतिष्ठान या प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाला संस्थान BWG की श्रेणी में आता है। इसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और आवासीय सोसायटियाँ आदि शामिल हैं।

BWGs को अपने द्वारा उत्पन्न कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से उचित संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। नियमों में विस्तारित अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों के उत्तरदायित्व /थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व (EBWGR) की भी व्यवस्था की गई है। BWGs से अपेक्षा की गई है कि वे जहाँ तक संभव हो, गीले कचरे का प्रसंस्करण परिसर में ही करें। जहाँ यह संभव न हो, वहाँ निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से EBWGR प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

सरकार के अनुसार, कुल ठोस कचरा उत्पादन में BWGs की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। इसलिए उनकी प्रभावी भागीदारी स्थानीय निकायों पर दबाव कम करने के साथ-साथ विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकती है।

डिजिटल निगरानी और जवाबदेही

नियमों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित किए जाने वाले केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इसमें कचरे के उत्पादन, संग्रह और परिवहन से लेकर उसके प्रसंस्करण और निपटान तक की पूरी शृंखला को शामिल किया जाएगा।

कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का पंजीकरण और प्राधिकरण ऑनलाइन किया जाएगा। रिपोर्ट और ऑडिट दस्तावेज़ भी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएँगे। पुराने कचरा स्थलों के बायोमाइनिंग और बायोरिमेडिएशन की भी निगरानी इसी प्रणाली से की जाएगी।

एक साझा डिजिटल मंच पर कचरा उत्पादन, प्रसंस्करण क्षमता, सुविधाओं के प्रदर्शन और पुराने कचरे के उपचार से संबंधित जानकारी उपलब्ध होने से नियामक संस्थाओं को कमियों की पहचान करने और प्रगति पर नज़र रखने में सहायता मिलेगी। कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं के ऑडिट और उनकी रिपोर्ट को केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। इस तरह डिजिटल व्यवस्था निगरानी और अनुपालन को मज़बूत करने का माध्यम बनेगी।

स्थानीय निकायों की केंद्रीय भूमिका

नए नियमों में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की भूमिका केंद्रीय बनी हुई है। उन्हें केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना, शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना तैयार कर अपलोड करना, अलग किए गए कचरे के घर-घर संग्रह की व्यवस्था करना और पृथक्करण, संग्रह, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा विकसित करना होगा।

स्थानीय निकायों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, कचरा उत्पादन और उपलब्ध बुनियादी ढाँचे का आकलन तथा निर्धारित सूचनाओं की पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग भी करनी होगी। उन्हें 31 मार्च, 2027 तक अपने उपनियमों को इन नियमों के अनुरूप तैयार या अद्यतन करना होगा।

मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ को ठोस कचरे की छंटाई के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। ये कुछ निर्धारित कचरा धाराओं के लिए आगे के प्रसंस्करण से पहले संग्रह केंद्र के रूप में भी काम कर सकती हैं।

कचरा प्रबंधनः बुनियादी ढाँचे हेतु भूमि आवंटन में तेज़ी

कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2026 के नियमों में ठोस कचरा प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के आसपास विकास के लिए श्रेणीबद्ध मानदंड निर्धारित किए गए हैं ताकि पर्यावरणीय

सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए भूमि आवंटन में तेज़ी लाई जा सके।

5 टन प्रतिदिन से अधिक स्थापित क्षमता वाली सुविधाओं के लिए आवंटित कुल क्षेत्र में बफर ज़ोन रखना होगा। CPCB सुविधा की क्षमता और प्रदूषण भार के आधार पर इन बफर ज़ोन के आकार तथा वहाँ अनुमत गतिविधियों के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

ग्रामीण भारत और ग्राम पंचायत

नया ढाँचा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के ग्रामीण और पेरी-अर्बन आयामों को भी मान्यता देता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार विभागों से पेरी-अर्बन ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। तेज़ी से फैलते शहरों के आसपास के ऐसे क्षेत्रों में कचरा उत्पादन का स्वरूप भी धीरे-धीरे शहरी क्षेत्रों जैसा होता जा रहा है।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) ने वर्ष 2026 के नियमों के संबंध में राष्ट्रीय IEC अभियान के माध्यम से इस ग्रामीण आयाम को आगे बढ़ाया है। अभियान का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, ज़िला प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय निकायों, परिवारों, संस्थानों, BWGs और अन्य हितधारकों के लिए नियमों को सरल और समझने योग्य बनाना है।

अभियान में चार-धारा स्रोत पृथक्करण, BWGs की पहचान और पुराने कचरे के प्रबंधन के साथ-साथ ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों के स्व-मूल्यांकन और सत्यापन पर भी ज़ोर दिया गया है।

यह पहल नियमों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) चरण-II, मिशन लाइफ, चक्रीय अर्थव्यवस्था और वेस्ट टू वेल्थ से जोड़ती है। ग्राम पंचायतें, स्वयं सहायता समूह, परिवार, युवा और सामुदायिक संस्थाएँ संग्रह, पृथक्करण, स्थानीय प्रसंस्करण और व्यवहार परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

ज़िला प्रशासन और प्रवर्तन

नियमों के क्रियान्वयन में ज़िला प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में DDWS ने देशभर के उपायुक्तों, ज़िलाधिकारियों और ज़िला कलेक्टरों के साथ नियमों के प्रवर्तन पर चर्चा की। इसमें स्रोत पर पृथक्करण, BWGs की पहचान और पंजीकरण तथा पुराने कचरे के उपचार पर ज़ोर दिया गया।

इससे राष्ट्रीय-स्तर के नियामक प्रावधानों, राज्य स्तर के क्रियान्वयन और ज़िला स्तर की निगरानी के बीच ज़िम्मेदारी की स्पष्ट शृंखला स्थापित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों की तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना भी महत्वपूर्ण होगा।

अपशिष्ट कचरे से ईंधन

नियमों में रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल (RDF) के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। RDF प्रसंस्कृत नगरपालिका ठोस कचरे से तैयार किया जाता है, जिसमें गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक, कागज़ और वस्त्र जैसे अधिक ऊष्मीय मूल्य वाले अंश शामिल होते हैं।

सीमेंट संयंत्रों और ठोस ईंधन का उपयोग करने वाले कचरे से ईंधन संयंत्रों सहित औद्योगिक इकाइयों को ठोस ईंधन के स्थान पर RDF का उपयोग करना होगा। निर्धारित ईंधन प्रतिस्थापन दर को छह वर्षों में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है।

इससे ऐसे कचरे के उपयोग का एक सुनिश्चित मार्ग तैयार होता है जिसे आर्थिक रूप से पुनर्चक्रित करना संभव नहीं हो सकता, लेकिन जिसमें ऊर्जा के लिए उपयोगी क्षमता मौजूद है। इस तरह, नगरपालिका कचरा प्रबंधन को औद्योगिक संसाधन-कुशलता से जोड़ा गया है।

लैंडफिल को अंतिम विकल्प बनाना

नियमों का उद्देश्य लैंडफिल में जाने वाले कचरे को काफ़ी हद तक सीमित करना है। लैंडफिल में केवल गैर-पुनर्चक्रण योग्य, गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य और निष्क्रिय कचरे को ही भेजा जाना है। बिना पृथक्करण वाले कचरे के लिए अधिक लैंडफिल शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण और संसाधनों के पुनः उपयोग के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा लैंडफिल का वार्षिक ऑडिट भी अनिवार्य किया गया है। ज़िला कलेक्टरों को लैंडफिल के प्रदर्शन की निगरानी की ज़िम्मेदारी दी गई है।

जब पुनर्चक्रण योग्य, कम्पोस्ट योग्य और ऊर्जा के लिए उपयोगी सामग्री अलग कर ली जाती है, तब लैंडफिल मिश्रित नगरपालिका कचरे का सामान्य गंतव्य न रहकर केवल अवशिष्ट कचरे के लिए अंतिम विकल्प बनता है।

पुराने कचरे की समस्या का समाधान

भारत के सामने पुराने कचरा स्थलों पर वर्षों से जमा कचरे की चुनौती भी है। वर्ष 2026 के नियमों में सभी पुराने कचरा स्थलों की मैपिंग और आकलन तथा उसके बाद समयबद्ध बायोमाइनिंग और बायोरिमेडिएशन का प्रावधान किया गया है। इसकी तिमाही रिपोर्टिंग केंद्रीय पोर्टल पर की जाएगी।

बायोमाइनिंग और बायोरिमेडिएशन के माध्यम से जहाँ संभव हो, उपयोगी सामग्री को अलग किया जाएगा, शेष कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाएगा और भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

जुलाई 2026 में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सात पुराने कचरा डंपसाइट चिह्नित किए गए थे, जिनमें से चार का उपचार पूरा हो चुका था।

पुराने कचरे के उपचार को निगरानी वाली वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना वर्तमान कचरा प्रबंधन के साथ-साथ पुराने पर्यावरणीय बोझ से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में सीमित भूमि, कठिन परिवहन और पर्यटन के कारण मौसमी रूप से बढ़ने वाले कचरे जैसी विशिष्ट चुनौतियाँ होती हैं।

इन क्षेत्रों के लिए नियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय निकाय पर्यटकों से उपयोगकर्ता शुल्क ले सकते हैं और उपलब्ध कचरा प्रबंधन सुविधाओं के अनुसार पर्यटकों की संख्या को विनियमित कर सकते हैं। गैर-जैव अपघटनीय कचरे के लिए निर्धारित संग्रह केंद्र बनाए जाने हैं। होटल और रेस्तरां को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विकेंद्रीकृत गीले कचरे का प्रसंस्करण करना होगा।

ये प्रावधान इस बात को रेखांकित करते हैं कि कचरा प्रबंधन व्यवस्था स्थानीय पारिस्थितिकी और बुनियादी ढाँचे की परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।

अनुपालन से जवाबदेही तक

नियमों में 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के माध्यम से प्रवर्तन व्यवस्था को मज़बूत किया गया है।

बिना पंजीकरण संचालन, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने जैसे उल्लंघनों के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है। CPCB संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाएंगी।

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय और राज्य-स्तर की समितियों का भी प्रावधान किया गया है। राज्य या केंद्रशासित प्रदेश-स्तर की समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के प्रमुख द्वारा की जाएगी। यह समिति प्रभावी क्रियान्वयन के लिए CPCB को आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी।

निपटान से संसाधनों के पुनः उपयोग की ओर

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 कचरे को देखने और उसके प्रबंधन के तरीके में बदलाव को दर्शाते हैं। इनके तहत स्रोत पर पृथक्करण को अलग-अलग संग्रह, थोक अपशिष्ट उत्पादकों की ज़िम्मेदारी, मैटीरियल रिकवरी, डिजिटल निगरानी, संसाधनों के पुनः उपयोग, लैंडफिल पर नियंत्रण और पुराने कचरे के उपचार से जोड़ा गया है।

ज़िम्मेदारी अब पूरी व्यवस्था में बाँटी गई है। परिवारों को कचरा अलग करना होगा। थोक अपशिष्ट उत्पादकों को अपने द्वारा उत्पन्न कचरे की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। स्थानीय निकायों को संग्रह और प्रसंस्करण की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। प्रसंस्करण सुविधाओं को पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा। उद्योगों की RDF के उपयोग में भूमिका होगी, जबकि राज्य और ज़िला प्रशासन को निगरानी और प्रवर्तन की ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी।

इस व्यवस्था में ग्रामीण आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्राम पंचायतों और सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से ये नियम टिकाऊ ग्राम स्वच्छता, चक्रीय अर्थव्यवस्था और *'वेस्ट टू वेल्थ'* की दिशा में प्रयासों को मज़बूती दे सकते हैं। DDWS का जागरूकता अभियान इन प्रावधानों को समुदायों तक पहुँचाने पर केंद्रित है क्योंकि बुनियादी ढाँचे के साथ व्यवहार परिवर्तन भी आवश्यक है।

नियमों की सफलता अंततः उनके ज़मीन पर प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, अलग-अलग संग्रह, पर्याप्त प्रसंस्करण क्षमता और प्रभावी निगरानी—इन सभी कड़ियों का मज़बूत होना ज़रूरी है।

बड़ा उद्देश्य है—अवशिष्ट कचरा कम हो, उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक पुनः उपयोग हो और निपटान अधिक सुरक्षित तथा जवाबदेह बने। पर्यावरणीय विनियमन, स्थानीय शासन, डिजिटल निगरानी, संसाधनों के पुनः उपयोग और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ जोड़कर वर्ष 2026 के नियम, कचरा निपटान की संस्कृति से आगे बढ़कर, अधिक चक्रीय और संसाधन-कुशल व्यवस्था की दिशा में एक व्यापक आधार तैयार करते हैं। ❑